Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2017-18

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2017-18

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2017-18

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडलः

डॉ. त्रिलोचन महापात्र

श्री छबिलेन्द्र राउल

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

डॉ. अशोक दलवाई

डॉ. सुरेश एस. होन्नाप्पागोल

डॉ. संजीव सक्सेना

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः

श्री रविन्द्रजीत सिंह बावेजा

मुख्य वित्त अधिकारीः

श्री आवेश यादव

बैंकरः

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली
सिंडिकेट बैंक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, डीडी - 34, बेसमेंट, कालकाजी,
नई दिल्ली - 110 019

पंजीकृत कार्यालयः

जी-2, ए- ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
दूरभाष : 011-25842122, 25842124

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
निदेशक की रिपोर्ट	1-23
वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट) एवं लाभ व हानि का विवरण	24-33
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	34-41
सचिवालय लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	42-47
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी	48

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित)

रिपोर्टाधीन अवधि वाले वर्ष में, आपकी कम्पनी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1.	ऑपरेशन से राजस्व	3,54,634	13,44,222
2.	अन्य आय	3,61,66,748	4,55,58,708
3.	कुल व्यय	1,36,49,957	1,47,05,810
4	समग्र लाभ	2,21,02,260	3,21,97,120
5.	कर के लिए प्रावधान	66,95,340	1,11,45,028
6.	कर उपरांत शुद्ध लाभ	1,58,39,715	2,10,52,092

दिनांक 31.03.2018 को कम्पनी की बैलेंस शीट और दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि लेखा को तैयार कर लिया गया है जो कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

प्रचालनों का सारांश

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2016–17 में जहां कुल 13,44,222/– रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने अपने कार्यों से रूपये 3,54,634/– का राजस्व हासिल किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए रूपये 18,86,178/– के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 13,45,126/– का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कम्पनी द्वारा जहां रूपये 2,10,52,092/– का शुद्ध लाभ कमाया गया वहीं वित्तीय वर्ष 2017–18 में शुद्ध लाभ रूपये 1,58,39,715/– का था।

कम्पनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष में, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया गया :

व्यवसाय विकास गतिविधियां :

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं

तथा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भागीदारी करना भी शामिल है जैसे कि एसोचैम (ASSOCHEM) द्वारा कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक; वर्ल्ड फूड सम्मिट; फॉस्ट एंड सुलीवन द्वारा GIL 2017 सम्मिट; ICAR – CIRCOT मुम्बई में बैठक; यस बैंक एवं नीति आयोग द्वारा फ्यूचर एग्रीटेक सम्मिट; भाकृअनुप – केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), केरल में स्टार्ट–अप इंडिया आयोजन; CRRID द्वारा पंजाब राज्य की कृषि व्यवसाय क्षमता पर राष्ट्रीय सेमिनार; CII द्वारा उत्तर भारत एग्रीबिजनेस सम्मिट; भाकृअनुप – राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (ICAR - NAARM), हैदराबाद द्वारा एग्री उड़ान; CII एग्री सप्लाई चैन; इफ्को (IFFCO) में वरिष्ठ प्रबंधन बैठक; ISAP द्वारा राष्ट्रीय कृषि उद्यमी बैठक; माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ CII बैठक; राष्ट्रीय सम्मेलन – स्मार्ट कृषि समाधान; पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य नीति की पुनः डिजाइनिंग : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति संस्थान (ICAR - NIAP) तथा TCI – TARINA द्वारा उभरती रूपरेखा।

कम्पनी द्वारा विभिन्न मान्यताप्राप्त संगठनों के साथ सहयोग की पहल भी की गई है जिनमें शामिल हैं : प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एशिया–पैसीफिक सेन्टर (APCTT); MANAGE, TRVP-TANUVAS, IICA, ABIC, नेपाल, अफ्रीकन–एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) तथा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (ASEAN), रशियन फार ईस्ट फेडरेशन ।

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा अफ्रीकन–एशियन ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग को बढ़ाया गया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रमों तथा अन्य परियोजनाओं का आयोजन करने हेतु आसियान सचिवालय के साथ सम्बद्धता को मजबूती प्रदान की गई।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की विशेषज्ञता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली में उत्पन्न संस्थाओं के लाभ को हितधारकों तक पहुंचाने के लिए, कम्पनी द्वारा सभी राज्य कृषि एवं पशु–चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें ऑपरेशन तथा दिशानिर्देशों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। इससे एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के लिए जहां प्रौद्योगिकी आधार मजबूत होगा वहीं साथ ही राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) इकोसिस्टम में इनोवेटिव भागीदारी के लिए भी मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अपने अधिदेशों के अंग के रूप में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक निम्नलिखित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य पूरा किया गया :–

- **उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों के स्थान विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधा के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व पर्णीय फार्मुलेशन हेतु प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), तिरूवनंतपुरम, केरल द्वारा विकसित किया गया जिसे नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स लिंगा केमीकल्स, मदुरै, तमिल नाडु को हस्तांतरित किया गया। लाइसेंस फीस रूपये 2.50 लाख + जीएसटी है और लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष है।

- **विवेक मिलेट थ्रेसर एवं पर्लर के लिए प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किया गया

है। इस प्रौद्योगिकी को नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स पंजाब एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स प्रा. लि., सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित किया गया है। इसकी लाइसेंस फीस रूपये 5.00 लाख + जीएसटी है और साथ ही निवल बिक्री पर 5 प्रतिशत रॉयल्टी है। लाइसेंस की अवधि तीन वर्ष है।

- **वीएल कीट ट्रैप के लिए प्रौद्योगिकी :** व्हाइट ग्रब के लिए एक सस्ता प्रबंधान टूल : इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसे नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स दून ट्रंक हाउस, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किया गया है। इसकी लाइसेंस फीस रूपये 1.00 लाख + जीएसटी है और लाइसेंस अवधि चार वर्ष है।

- **वीएल सयाही हल के लिए प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किया गया है। इसे नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स नवश्रीजन बहुद्देश्यीय स्वायत्त सहकारिता, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड को हस्तांतरित किया गया है। इस प्रौद्योगिकी की लाइसेंस फीस रूपये 1.20 लाख + जीएसटी है और लाइसेंस अवधि तीन वर्ष है।

- **सीएमवीएल बेबी कॉर्न 2 के लिए प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रौद्योगिकी को नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स बायोसीड रिसर्च इंडिया (डीसीएम श्रीराम लिमिटेड का एक प्रभाग), हैदराबाद, तेलंगाना को हस्तांतरित किया गया है। इसकी लाइसेंस फीस रूपये 2.00 लाख + जीएसटी एवं निवल बिक्री पर 5 प्रतिशत रॉयल्टी है। लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष है।

- **भेड़ एवं बकरी के लिए खनिज मिश्रण हेतु प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी को भाकृअनुप – राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू द्वारा विकसित किया गया है। इसका हस्तांतरण नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर मैसर्स कामधोनु फीड्स, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश एवं मैसर्स शक्ति लाइवस्टॉक फीड्स (प्रा.) लि., मेरठ, उत्तर प्रदेश को किया गया है। इस प्रौद्योगिकी की लाइसेंस फीस रूपये 2.50 लाख + जीएसटी है और लाइसेंस की अवधि दस वर्ष है।

- **गोपशु तथा भैंस में प्रसवोत्तर समस्याओं को कम करने के लिए अपक्षालक (Anionic) खनिज मिश्रण हेतु प्रौद्योगिकी :** इस प्रौद्योगिकी का विकास भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल, हरियाणा द्वारा किया गया है। इसका हस्तांतरण मैसर्स वेस्ट बंगाल केमीकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को नॉन–एक्सक्लूसिव आधार पर किया गया है। इसकी लाइसेंस फीस रूपये 2.50 लाख + जीएसटी एवं निवल बिक्री पर 2 प्रतिशत रॉयल्टी है। इसकी लाइसेंस अवधि दस वर्ष है।

नीति पहल :

अपनी व्यवसाय गतिविधियों में स्पष्टता, पारदर्शिता और एकरूपता लाने की दिशा में, बोर्ड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के लिए व्यावसायीकृत गतिविधियों को चलाने के लिए कम्पनी हेतु व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया है। इन दिशानिर्देशों का तारतम्य अथवा सामंजस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के व्यावसायिक दिशानिर्देशों के साथ स्थापित किया गया है जिससे सम्पूर्ण प्रणाली में एकरूपता का एक व्यापक स्तर लाया गया है।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों में शामिल है :

1. बौद्धिक सम्पदा संरक्षण एवं प्रबंधान के लिए दिशानिर्देश
2. प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए दिशानिर्देश
3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश
4. परामर्शी सेवा और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश
5. बाह्य एजेन्सी/परामर्श को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के निदेशक मण्डल द्वारा अनुबंधा/सहयोगात्मक अनुसंधान के परिणामों का व्यावसायीकरण करने हेतु दिशानिर्देशों को भी अनुमोदित किया गया। इन अनुमोदित दिशानिर्देशों से एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) को ऐसी परियोजनाओं जिन्हें पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में शामिल नहीं किया गया था, के अनुसंधान परिणामों का व्यावसायीकरण करने में मदद मिलेगी।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) द्वारा अपनी ऑपरेशनल दक्षता को सुधारने की दिशा में निम्नलिखित नीतियों को अंतिम रूप दिया गया।

1. एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) में नियुक्ति नीति एवं कार्यविधि
2. व्यापक मार्केटिंग योजना

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन :

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, तकनीकी–व्यावसायिक आकलन एवं विशेषज्ञ समितियां गठित की गई हैं ताकि तकनीकी–व्यावसायिक आकलन किया जा सके और सभी भाकृअनुप संस्थानों की क्षमताशील प्रौद्योगिकियों के लिए मानक शर्तें तैयार की जा सकें।

व्यावसायीकरण दिशानिर्देशों के अनुरूपण में, एग्रीनोवेट इंडिया लि. (AgIn) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों यथा भाकृअनुप – केन्द्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - CCARI), गोवा; भाकृअनुप – केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान (ICAR - CIAE), भोपाल; भाकृअनुप – केन्द्रीय खारा जलजीव पालन संस्थान (ICAR - CIBA), चेन्नई; भाकृअनुप – केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (ICAR - CIPHET), लुधियाना; भाकृअनुप – केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान (ICAR - CIRB), हिसार; भाकृअनुप – केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (ICAR - CPRI), शिमला; भाकृअनुप – केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (ICAR - CSSRI), करनाल; भाकृअनुप – केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (ICAR - CTCRI), केरल; भाकृअनुप – मूंगफली अनुसंधान निदेशालय (ICAR - DGR), जूनागढ़; भाकृअनुप – भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बेंगलुरू; भाकृअनुप – भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIMR), हैदराबाद; भाकृअनुप – भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान (ICAR - IINRG), रांची; भाकृअनुप – भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIRR), हैदराबाद; भाकृअनुप – भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (ICAR - IISR), केरल; भाकृअनुप – राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो (ICAR - NBAIM), मऊ, उत्तर प्रदेश; भाकृअनुप – राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (ICAR - NDRI), करनाल; भाकृअनुप – राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP); बेंगलुरू; भाकृअनुप – राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCM), हैदराबाद; भाकृअनुप – राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCG), पुणे; तथा भाकृअनुप – विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - VPKAS), अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड की चुनिन्दा प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी – व्यावसायिक एवं विशेषज्ञ समिति गठित की गई और उनकी बैठकें आयोजित की गई।

इस अवसर पर, कम्पनी बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों का कम्पनी को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहेगा।

भविष्य की ओर दृष्टि

कम्पनी अपने उपभोक्ताओं एवं प्रमुख हितधारकों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक मजबूत संगठन का निर्माण करने और सतत आधार पर कृषि के विकास में योगदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, कम्पनी, मीडिया प्रोन्नयन सहित सम्मेलनों, प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने वाली बैठकों और अन्य प्रोन्नयन आयोजनों के माध्यम से विजीबिलिटी में सुधार लाने हेतु अपने प्रयासों को साकार करने के प्रति प्रयासरस है।

लाभांश

कम्पनी के निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

रिजर्व में राशि का स्थानान्तरण

कम्पनी के बोर्ड द्वारा अपने रिजर्व संग्रह में रूपये 1,58,39,715/- ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निदेशक रिपोर्ट में बताया गया है, डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही श्री छबिलेन्द्र राऊल, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भाकृअनुप को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पुनः श्री सुनील कुमार सिंह, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (डेयर/भाकृअनुप) द्वारा अपनी पदोन्नति होने और डेयर से स्थानान्तरण होने पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) के निदेशक पद से त्यागपत्र दिया गया था। श्री एस.के. त्रिपाठी, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (डेयर/भाकृअनुप) को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

समीक्षा अवधि के दौरान, अन्य निदेशक यथावत बने रहे यथा डॉ. अशोक दलवाई, सीईओ, एनआरएए; डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, पशु पालन आयुक्त (DADF) तथा डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक (IP & TM), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं मानदेय) नियमावली, 2014 (तत्कालीन समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक संशोधान अथवा पुनः लागू सहित) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2(51) एवं धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के प्रमुख प्रबंधाकीय कार्मिकों (KMPs) का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1	श्री रविन्द्रजीत सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री अवेश यादव	मुख्य वित्त अधिकारी
3	श्रीमती निधि गोधा	कम्पनी सचिव

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की निम्नलिखित तीन बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
29.06.2017	4
08.08.2017	6
12.03.2018	3

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा इनकी नियुक्ति के समय ली जाए और उसे निदेशक की रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए।

वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 92 (3) तथा कम्पनी (प्रबंधान एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में, वार्षिक रिटर्न का सार रिपोर्ट के साथ एमजीटी-9 के प्रारूप में संलग्न है।

सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण का नोट

मैसर्स वीएसडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स सुभाष सी. गुप्ता एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, दिल्ली को वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी का आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था।

अनुसूची के नोट्स के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

पुन: कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (क क) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के लेखा परीक्षक नियुक्त अथवा पुन: नियुक्त किए जाए और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में किया जाए।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 एवं नियमावली की शर्तों के तहत मैसर्स वीएपी एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को कम्पनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ आकलन दिए गए हैं जैसे कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं डीपीई एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अनुपालन

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में कम्पनी

द्वारा अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। इस संबंध में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी ने स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभ्यर्थी के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं और नामित अभ्यर्थियों से सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधान द्वारा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। अन्य आकलनों को भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्विक बदलाव

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के मध्य कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

लेखा परीक्षा (ऑडिट) समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

क) डॉ. अशोक दलवाई – अध्यक्ष
ख) डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल – सदस्य
ग) डॉ. संजीव सक्सेना – सदस्य

लेखा परीक्षा समिति, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के खुलासे पर नजर रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और साख वाले हों; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करेगी; आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, स्टाफ स्थिति और विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवर्ती सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की उपयुक्तता की समीक्षा करेगी; तथा साथ ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा करके कोई उल्लेखनीय परिणाम तथा अनुवर्ती कार्रवाई, आदि सुनिश्चित करेगी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें शामिल सदस्य हैं :

1. डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, निदेशक
2. डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समिति को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने; यह सुनिश्चित करना कि पारिश्रमिक का स्तर एवं संयोजन न्यायसंगत तथा पर्याप्त हो, प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सह–संबंध स्पष्ट हो और इससे प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे होते हों तथा इसमें निर्धारित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच एक संतुलन शामिल हो; की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समिति को प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन के आधार पर इसकी नियुक्ति करने अथवा हटाने की सिफारिश का दायित्व भी सौंपा गया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अपने अनेक बैठकों में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड की नियुक्ति नीति एवं कार्यविधियों को

अंतिम रूप दिया गया था जिसे उपाध्यक्ष, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार वेटिंग के लिए डेयर को प्रस्तुत किया गया है।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण

ऋण का विवरण

क्र.सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए ऋण लेने वाले द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	ब्याज दर	प्रतिभूति
				शून्य					

निवेश का विवरण :

क्र. सं.	निवेश की तारीख	निवेश का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	वसूली की अपेक्षित दर
			शून्य				

प्रदान की गई गारंटी/प्रतिभूति का विवरण :

क्र.सं.	प्रतिभूति/ गारंटी प्रदान करने की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा गारंटी/ प्रतिभूति का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी.आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	कमीशन
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	**लागू नहीं**
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम	**लागू नहीं**
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	**लागू नहीं**

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास	**लागू नहीं**
उत्पन्न लाभ	**लागू नहीं**
अनुसंधान व विकास पर खर्च, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई है	**लागू नहीं**
आयात का वर्ष	**लागू नहीं**
क्या आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेशन किया गया	**लागू नहीं**

ऐसे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन नहीं किया जा सका, यदि कोई है **लागू नहीं**

ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन/खर्च :

अर्जन अथवा आय	रूपये	3,54,634
खर्च	शून्य	

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक वित्त द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण किया जाता है।

जमा

कम्पनी ने किसी प्रकार का नियत (फिक्शड) जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार आज की तारीख में तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट के अनुसार मूल अथवा ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के निदेशकों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री छबिलेन्द्र राऊल को तथा अन्य सदस्यों के रूप में डॉ. संजीव सक्सेना तथा कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया गया।

उपरोक्त समिति को बोर्ड को एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है जिसमें कम्पनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की निगरानी तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली धनराशि की सिफारिश करने का उल्लेख किया जाना है।

कम्पनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-15/0008/2014-निदे (सीएसआर) दिनांक 23.01.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय (HI & PE) के अनुमोदन से सीएसआर के लिए डीपीई दिशानिर्देशों को वापिस ले लिया गया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि कम्पनी द्वारा सीएसआर पर कम्पनीज अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में सीएसआर गतिविधियां चलाई जाएं।

वर्तमान में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

क) यह कि दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया;

ख) यह कि 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के मामलों (स्टेट ऑफ अफेयर्स) तथा इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ/हानि की सही और स्पष्ट स्थिति देने के लिए निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियां अपनाई गई तथा उपयुक्त निर्णय और आकलन विवेकपूर्ण ढंग से किए गए;

ग) यह कि धोखाधाड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने अथवा इनका पता लगाने और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूपण में उचित लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई;

घ) यह कि निदेशकों द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए गए;

ड) यह कि निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणालियां तैयार की गईं और ऐसी प्रणालियां प्रचालन के क्रियान्वयन में पर्याप्त एवं प्रभावी थीं।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों की सराहना करते हैं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है।

आपके निदेशक इस अवसर का लाभ कम्पनी के निदेशक बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करने में करते हैं। साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल; कम्पनी के सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

कृते निदेशक बोर्ड

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक:

ह0/-

(त्रिलोचन महापात्र)

PAN: AAPPY2129R

फार्म सं. एमजीटी 9
वार्षिक लाभ का सार
दिनांक 31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआईएन (CIN)	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण की तारीख	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी–2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली– 110 012
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (यदि कोई है) का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कम्पनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाए।

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यवसाय गतिविधि कोड	व्यवसाय गतिविधि का कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	A	कृषि	A4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण एवं रख–रखाव करना और सार्वजनिक हित के लिए इसका व्यावसायीकरण/वितरण करना	शून्य
2	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों यथा बीज, रोपण सामग्री, टीका, नैदानिकी, अनेक अन्य जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित निवेश एवं उत्पाद, फार्म उपकरण व मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन एवं उन्हें प्रचलित करना।	

3	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	परामर्श सेवाओं, अनुबंधीय अनुसंधान, कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।	44.21%
4	A	कृषि	A4	भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं तथा प्रगति के माधयम से ग्लोबल ब्राण्ड का निर्माण करने की पहल के साथ संवर्धन निर्माण पहल का हिस्सा बनना	0%
5	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना	0%
6	A	कृषि	A4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन करना	0%
7	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M3	मांग चालित अनुसंधान में सहयोग करने के लिए बाजार बुद्धि चातुर्य, मूल्यीकरण एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में समेकित कुशलता वाली गतिविधियों को चलाना	0%

III. स्वामित्व, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों का विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन (CIN/GLN)	स्वामित्व/सहायक/ एसोसिएट	उपलब्ध शेयरों का %	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयरधारक पैटर्न (कुल इक्विटी में प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत	
	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %		
क) प्रोमोटर्स										
(1) भारतीय			शून्य				शून्य			

क) वैयक्तिक/ एचयूएफ (भारत के निवासी के प्रतिनिधि के रूप मेंऋ	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0		
ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	4,99,99,940	4,99,99,940	100	शून्य	
ग) कारपोरेट बॉडीज			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य			
उप योगः (क) (1)										
(2) विदेशी										
क)एनआरआई - वैयक्तिक			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) अन्य वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
ग) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य			
घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			
ड) कोई अन्य...			शून्य				शून्य			
उप योग : (क) (2)										
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता क = (क) (1) +(क) (2)										
ख.सार्वजनिक शेयर धारिता										
(1) संस्थान										
क) म्यूचुअल फंड			शून्य				शून्य		शून्य	
ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य			

ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य			
घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य			
ड) उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य			
छ) एफआई आईएस			शून्य				शून्य			
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य			
झ) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (1):										
(2) गैर संस्थान										
क) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य		शून्य	
i) भारतीय			शून्य				शून्य			
ii) विदेशी			शून्य				शून्य			
ख) वैयक्तिक			शून्य				शून्य			
i) रूपये एक लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			
ii) रूपये एक लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य			
ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य			
उप योग (ख) (2) :										

कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1) + (ख)(2)			शून्य				शून्य		शून्य	
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य				शून्य		शून्य	
समग्र योग (क + ख +ग)			5,00,00,000				5,00,00,000		शून्य	

प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धारिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का %	
1.	श्री ए.जी. सुब्रहमण्यम के माधयम से भारत के राष्ट्रपति	4,99,99,940	99.99988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री ए.आर. सेनगुप्ता	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री टी.बी. भाविस्कर	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री राजेश कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री राजन अग्रवाल	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	श्री जितेन्द्र मिश्रा	10	0.00002					

प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन है तो कृपया स्पष्ट करें)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)	4,99,99,990	100	4,99,99,990	100
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटर्स एवं जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा)

	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता		
प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/ स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें) दिनांक 8.11.2016 के परिपत्र संकल्प के माधयम से डेयर से प्राप्त नामांकन के अनुसंधान स्थानान्तरित	4,99,99,990	100	4,99,99,990
वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	4,99,99,990	100	4,99,99,990

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

शून्य

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		**वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता**	
प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी%

वर्ष के प्रारंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में आंकडा–वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)				
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य			

V. कर्जदारी : लागू नहीं

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की कर्जदारी लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं				
	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	शून्य	शून्य	शून्य	
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	
निवल बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक **लागू नहीं**

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक का नाम			कुल राशि
1	**सकल वेतन**					
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं				
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य	लागू नहीं				
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं				
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं				
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं				
4	कमीशन	लागू नहीं				
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं				
	अन्य (स्पष्ट करें)	लागू नहीं				
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं				
	कुल (क)	लागू नहीं				
	अधिनियम के अनुसार सीमित					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः **लागू नहीं**

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				

2	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				
प्रबंधा निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मानदेय					

ग. प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक को मानदेय: लागू नहीं

क्र.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक/प्रबंधाक का नाम**			**कुल**
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	लागू नहीं			
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य	लागू नहीं			
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	लागू नहीं			
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं			
3	स्वीट इक्विटी	लागू नहीं			
4	कमीशन	लागू नहीं			
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	लागू नहीं			
	अन्य, स्पष्ट करें	लागू नहीं			
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	लागू नहीं			
	कुल	लागू नहीं			
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. पेनल्टी/दण्ड/अपराधों का समझौता

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनल्टी/दण्ड /लगाई गई समझौता फीस का विवरण	एथॉरिटी (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है तो कृपया विवरण दें
क. कम्पनी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ख. निदेशक					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
पेनल्टी	शून्य				
दण्ड	शून्य				
समझौता	शून्य				

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2017 के अनुसार	31 मार्च, 2016 के अनुसार
I.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों का फंड**			
	क) शेयर पूंजी	**2**	50,00,00,000	50,00,00,000
	ख) रिजर्व एवं सरप्लस	**3**	14,50,20,292	12,91,80,577
			64,50,20,292	**62,91,80,577**
(2)	**वर्तमान देयताएं**			
	क) अन्य वर्तमान देयताएं	**4**	15,25,611	26,98,459
	ख) प्रावधान	**5**	24,36,960	18,96,360
	कुल		**64,89,82,863**	**63,37,75,396**
II.	**परिसम्पत्तियां**			
(1)	**गैर-आवर्ती परिसम्पत्ति**			
	क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :	**6**	39,98,833	50,77,737
	ख) अगोचर परिसम्पत्ति	**6**	11,979	40,291
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	**15**	10,37,398	8,67,474
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	क) व्यापार प्राप्तियां	**7**	-	7,85,400
	ख) नकद एवं बैंक बैलेंस	**8**	61,22,01,795	58,95,29,372
	ग) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	**9**	3,17,32,858	3,74,75,122
	वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा नोट्स	**1**		
	कुल		**64,89,82,863**	**63,37,75,396**

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

धृति मदान
कम्पनी सचिव
A-27642
PAN: BLUPM9794B

आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AAPPY2129R

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

CIN :U01400DL2011GOI226486

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व	10	3,54,634	13,44,222
II.	अन्य आय	11	3,61,66,748	4,55,58,708
III.	कुल राजस्व (I+II)		**3,65,21,382**	**4,69,02,930**
IV.	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	12	73,37,024	73,94,225
	अवमूल्यन	6	13,45,126	18,86,178
	अन्य व्यय	13	49,60,679	54,19,678
	वित्तीय व्यय	14	7,128	5,729
V	कुल व्यय		**1,36,49,957**	**1,47,05,810**
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों तथा कर के साथ पूर्व लाभ (III-IV)		**2,28,71,425**	**3,21,97,120**
VI.	आपवादिक मदें	15	(7,69,165)	-
VII.	असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		**2,21,02,260**	**3,21,97,120**
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	कर – पूर्व लाभ		**2,21,02,260**	**3,21,97,120**
X.	कर संबंधी व्यय :			
	पिछले वर्ष के कर संबंधी व्यय :			
	(1) चालू कर		64,32,469	1,08,79,084
	(2) आस्थगित कर	16	(1,69,924)	2,09,575
	(3) अवधि पूर्व कर समायोजन		-	56,369
XI.	लगातार चल रहे प्रचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**1,58,39,715**	**2,10,52,092**
XII.	अनियमित प्रचालन से लाभ		-	-
XIII.	अनियमित प्रचालन का कर संबंधी व्यय		-	-
XIV.	कर उपरांत अनियमित प्रचालन से लाभ (XII-XIII)		-	-
XV.	अवधि विशेष के लिए लाभ (XI+XIV)		**1,58,39,715**	**2,10,52,092**
XVI.	प्रति शेयर मूल एवं अवमिश्रित आय (रूपये में)		**0.32**	**0.42**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा नोट्स	1		

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

धृति मदान
कम्पनी सचिव
A-27642
PAN: BLUPM9794B

त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AAPPY2129R

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN :U01400DL2011GOI226486
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	2,21,02,260	3,21,97,120
के लिए समायोजन :		
अवमूल्यन	13,45,126	18,86,178
ब्याज से आय	(3,61,56,245)	(4,55,53,561)
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	**(1,27,08,859)**	**(1,14,70,263)**
कार्यशील पूंजी में बदलाव :		
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियां	7,85,400	-
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	87,13,126	52,68,860
प्रचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
अन्य चालू देनदारियां	(11,72,848)	(2,02,141)
अल्पावधि प्रावधान	5,40,600	(6,19,841)
शुद्ध आय कर (भुगतान)/वापसी	(94,03,331)	(1,28,86,709)
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग में) (क)	**(1,32,45,912)**	**(1,99,10,092)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह		
नियत परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय	(2,37,910)	(1,92,281)
सावधि जमा पर ब्याज	3,61,56,245	4,55,53,561
सावधि जमा	(2,00,00,000)	(3,00,00,000)
नियत परिसम्पत्तियों के लिए ऋणदाता	-	-
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह/(उपयोग में) (ख)	1,59,18,335	**1,53,61,281**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद का प्रवाह	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी का प्रवाह / (उपयोग में) (ग)	-	-
नकद तथा नकद समतुल्य (क+ख+ग) में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	26,72,423	(45,48,812)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	95,29,372	1,40,78,184
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य	**1,22,01,795**	**95,29,372**

संलग्न समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
वी एस डी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या : 008726एन

भागीदार : अंकित गर्ग
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.2018

छबिलेन्द्र राउल
अपर निदेशक
डीआईएन : 01003691

त्रिलोचन महापात्र
अपर निदेशक
डीआईएन : 07556629

धृति मदान
कम्पनी सचिव
A-27642
PAN: BLUPM9794B

आवेश यादव
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AAPPY2129R

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा वित्तीय विवरण की लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां एवं अन्य लेखा नोट्स

नोट संख्या : 1

(I) कॉरपोरेट सूचना

(क) कम्पनी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को निगमित किया गया था। कम्पनी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक शत प्रतिशत कम्पनी है।

(ख) श्री आवेश यादव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कर्मचारी हैं और वे कम्पनी के कार्यों को देख रहे हैं। इस बारे में न तो उन्हें अथवा भाकृअनुप को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(ग) कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 100 (सौ) करोड़ रूपये है। जबकि जारी की गई, अंशदान की गई व भुगतान की गई शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रूपये है।

(II) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार : इन वित्तीय विवरणों को उचित मानों पर मापे जाने वाले कुछ निश्चित वित्तीय उपकरणों को छोड़कर उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागत, जैसी कि अधिसमय के अनुसार लागू है, के तहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) के अनुसार तैयार किया जाता है। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 133 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान (अधिसूचित की सीमा तक) के निर्धारित अधिदेशीय लेखा मानक शामिल होते हैं। कम्पनी द्वारा लगातार लेखा नीतियों को लागू किया गया है और पिछले वर्ष में इनका लगातार उपयोग किया गया है।

(ख) प्राक्कलनों का प्रयोग : प्राक्कलन तैयार करने तथा अनुमान लगाने हेतु सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के लिए व्यवस्था किए जाने की जरूरत है जो कि परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों की सूचित राशि पर प्रभाव डालती है तथा उस पर रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख एवं राजस्व तथा व्यय की सूचित राशि का प्रकटीकरण करती है। भौतिक परिणामों और प्राक्कलनों के अन्तर को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है जिसमें परिणामों को कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) राजस्व मान्यता

1. ब्याज से अर्जित आय के लिए नीति

बकाया राशि एवं लागू ब्याज दर को धयान में रखते हुए सावधि जमा तथा फलैक्सी जमा लेखा पर ब्याज से मिले राजस्व को समायानुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2. रॉयल्टी आय के लिए नीति

लाइसेंसिंग समझौते अथवा करार के अनुसार देय आधार पर रॉयल्टी को प्राप्त किया जाता है तथा मान्यता प्रदान की जाती है।

3. लाइसेंस फीस के लिए नीति

लाइसेंस फीस को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जबकि संबंधित लाइसेंस समझौते अथवा करार के

अनुसार लाइसेंस विशेष के बारे में लाइसेंसधारक को पूरी तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय लाइसेंस की लागत (खर्च) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नीति

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त राजस्व को मान्यता प्रदान की जाती है।

(घ) आकस्मिक देयता अथवा देनदारी एवं प्रावधान

किसी प्रावधान को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब कम्पनी के पास मौजूदा दायित्व हो और पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप, यह संभव हो कि इस दायित्व का समाधान करने के लिए संसाधनों का निर्गम करना आवश्यक होगा और जिसके बारे में, विश्वसनीय आकलन बनाए जा सकते हैं। प्रावधानों में इसके मौजूदा मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती है और इन्हें बैलेंस शीट की तारीख में दायित्व का समाधान करने के लिए अपेक्षित आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। इनकी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को समीक्षा की जाती है और बेहतर आकलनों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, आकस्मिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों अथवा देयताओं को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उन्हें प्रकट किया जाता है।

(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर घटे संचित अवमूल्यन पर दर्शाया जाता है। लागत में कोई भी ऐसी लागत शामिल हो सकती है जो इसके अपेक्षित प्रयोग हेतु इसकी कार्यशील स्थिति के लिए परिसम्पत्तियों को महत्वपूर्ण बनाती है।

(छ) अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास

अगोचर परिसम्पत्तियों यथा परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के तदनुसार उपयोगपूर्ण अवधि पर घटती मूल्य विधि के आधार पर लगाया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी अथवा बेची गई परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास की गणना प्रो–रेटा आधार पर की जाती है।

(ज) कराधान

आयकर में चालू कर और आस्थगित कर शामिल है।

चालू (प्रचलित) कर

चालू (प्रचलित) कर के लिए प्रावधान को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है और यह कर भत्तों तथा छूट के लिए क्रेडिट लेने के उपरान्त कर देयता के आधार पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को समय अन्तराल में भावी कर परिणामों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है जो कि आय के लिए प्रस्तुत लाभ और वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ के बीच होते हैं। आस्थगित कर प्रभार अथवा जमा (क्रेडिट) और उसी अवधि की आस्थगित कर देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों को कर दरों का प्रयोग करते हुए मान्यता प्रदान की जाती है जिन्हें बैलेंस शीट अथवा तुलन–पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित अथवा स्थापित किया गया है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं का मापन कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जो कि तुलन पत्र तारीख में पर्याप्त रूप से लागू हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है और

उन्हें उसकी सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि इस बात की एक संगत सुनिश्चितता हो कि पर्याप्त रूप में भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना ऐसी आस्थगित कर परसम्पत्तियों से होगी जिनकी वसूली की जा सकती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का पुन: आकलन प्रत्येक तुलन पत्र में उनके संबंधित ले जाने वाले मानों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है।

(झ) प्रति शेयर आय

विचारित आय कम्पनी की ईपीएस को सुनिश्चित करती है जिसमें कर के उपरान्त शुद्ध लाभ शामिल है और इसमें किसी भी असाधारण मदों का कर उपरान्त प्रभाव सम्मिलित है। मूल ईपीएस की गणना करने में प्रयोग किए गए शेयरों की संख्या को वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत संख्या की तुलना में वरीयता अथवा भारिता दी जाती है।

(ट) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

I) **प्रारंभिक मान्यता** विदेशी मुद्रा में लेन देन की गणना रिपोर्टिंग मुद्रा में की जाती है जिसके लिए लेन देन की तारीख पर रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर राशि में विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है।

II) **रूपांतरण** रिपोर्टिंग तारीख में प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्रा लाभ मदों का रूपांतरण किया जाता है, गैर लाभ वाली मदों को किसी विदेशी मुद्रा में प्रचलित ऐतिहासिक लागत के संबंध में मापा जाता है और इसकी रिपोर्टिंग लेन देन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए की जाती है।

III) **विनिमय भिन्नता** विदेशी मुद्रा लाभ मदों के रूपांतरण/निपटान पर उत्पन्न विनिमय भिन्नता की पहचान जिस अवधि में वह उत्पन्न हुआ है, में आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में की जाती है।

(ठ) सेवानिवृति लाभ के लिए प्रावधान

कम्पनी में प्रोविडेन्ट फंड तथा ईएसआईसी के प्रावधान लागू नहीं होते। चूंकि कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं होता, इसलिए वर्ष 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

2. शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
प्राधिकृत प्रति 10/- रूपये के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गम, पूर्वकृत और प्रदत्त	50,00,00,000	50,00,00,000
प्रति 10/- रूपये के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	**50,00,00,000**	**50,00,00,000**

अवधि के प्रारंभ तथा समाप्ति पर शेयरों की संख्या का मिलान :

अवधि के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000
जोड़ : अवधि के दौरान जारी शेयर	-	-
कम : वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-
अवधि की समाप्ति पर शेयरों की संख्या	**5,00,00,000**	**5,00,00,000**

5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारक :

नाम	शेयरों का प्रतिशत	31.03.2018 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या	31.03.2017 की तारीख के अनुसार धारित शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार	100.00	5,00,00,000	5,00,00,000
		5,00,00,000	**5,00,00,000**

3. आरक्षित एवं अधिशेष अथवा सरप्लस

विवरण	01.04.2017 की तारीख के अनुसार प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान जमा	अवधि के दौरान विनियोजन/ समायोजन	31.03.2017 की तारीख के अनुसार शेष
लाभ व हानि का विवरण	12,91,80,577	1,58,39,715	–	14,50,20,292

4. अन्य मौजूदा देनदारियां

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
भुगतान योग्य सांविधिक देय अथवा देनदारी	73,544	77,285
अन्य देनदारियां	13,92,067	25,21,174
प्रतिभूति जमा	60,000	1,00,000
	15,25,611	**26,98,459**

5. अल्पवधि प्रावधान

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
व्यय के लिए प्रावधान	12,05,936	6,65,336
लाइसेंस फीस में भाकृअनुप के लिए प्रावधान	12,31,024	12,31,024
	24,36,960	**18,96,360**

नोट 6 : दिनांक 31.03.2018 की तारीख को नियत परिसम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

क्र.सं.	विवरण	उपयोगी अवधि	सकल ब्लॉक मान				संचित अवमूल्यन				निवल ब्लॉक मान	
			01.04.2017 की तारीख के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	वर्ष के प्रारंभ में मूल्य	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	अंतिम मूल्य	31 मार्च, 2016 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी	31 मार्च, 2017 की तारीख के अनुसार डब्ल्यूडीवी
	क) गोचर अथवा वास्तविक परिसम्पत्तियां											
1	कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज	3	9,50,849	2,09,718	-	11,60,567	8,41,291	93,818	-	9,35,109	1,09,558	2,25,458
2	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10	44,19,504	28,192	-	44,47,696	22,69102	5,61,366	-	28,30,468	21,50,402	16,17,228
3	कार्यालय उपकरण	5	29,07,819	-	-	29,07,819	21,41,985	3,51,825	-	24,93,810	7,65,834	4,14,009
4	बिजली स्थापन एवं उपकरण	10	13,97,560	-	-	13,97,560	7,01,773	1,80,835	-	8,82,608	6,95,787	5,14,952
5	भवन	30	17,14,880	-	-	17,14,880	3,58,724	1,28,970	-	4,87,694	13,56,156	12,27,186
	कुल (क)		**1,13,90,612**	**2,37,910**	**-**	**1,16,28,522**	**63,12,875**	**13,16,814**	**-**	**76,29,689**	**50,77,737**	**39,98,833**
	ख) अगोचर या अवास्तविक परिसम्पत्तियां											
6	सॉफ्टवेयर	3	1,65,838	-	-	1,65,838	1,25,547	28,312	-	1,53,859	40,291	11,979
	कुल (ख)		**1,65,838**	**-**	**-**	**1,65,838**	**1,25,547**	**28,312**	**-**	**1,53,859**	**40,291**	**11,979**
	समग्र योग (क + ख)		**1,15,56,450**	**2,37,910**	**-**	**1,17,94,360**	**64,38,422**	**13,45,126**	**-**	**77,83,548**	**51,18,028**	**40,10,812**
	पूर्ववर्ती वर्ष		**1,13,64,169**	**1,92,281**	**-**	**1,15,56,450**	**45,52,244**	**18,86,178**	**-**	**64,38,422**	**68,11,925**	**51,18,028**

7. प्राप्य सौदे

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
सुरक्षित, सुविचारित लाभ :		
असुरक्षित, सुविचारित लाभ :		
छः माह से अधिक	7,85,400	7,85,400
अन्य	-	-
कमी : संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	(7,85,400)	
	-	**7,85,400**

8. रोकड अथवा नकद व बैंक बैलेंस

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
रोकड़ अथवा नकद व समतुल्य		
बैंक के पास शेष	1,21,96,795	95,29,372
हाथ में चेक	5,000	
अन्य बैंक बैलेंस		
सावधि जमा (अल्पावधि)	60,00,00,000	58,00,00,000
	61,22,01,795	**58,95,29,372**

9. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

विवरण	31.03.2018 की तारीख के अनुसार	31.03.2017 की तारीख के अनुसार
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	2,64,10,635	3,42,01,635
स्वीप अंतरण पर अर्जित ब्याज	-	36,583
पूर्व-भुगतान व्यय	28,114	43,996
सप्लायर्स को अग्रिम	5,587	-
जीएसटी इनपुट	3,66,405	-
आयकर क्रेडिट (नेट ऑफ प्रोवीजन)	29,70,862	19,51,255
वापसी योग्य आय कर (A.Y. 2016-17)	19,51,255	12,41,653
कुल	**3,17,32,858**	**3,74,75,122**

लेखा अथवा वित्तीय विवरण के नोट्स

10. प्रचालनों से राजस्व

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लाइसेंस फीस	-	7,50,000
प्रशिक्षण कार्यक्रम से आय	3,54,634	5,94,222
	3,54,634	**13,44,222**

11. अन्य आय

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
नियत अथवा सावधि जमा पर ब्याज	3,52,44,863	4,42,26,079
स्वीप खाते पर ब्याज	8,29,640	13,27,482
सेन्ट्रल बैंक 2257 पर ब्याज	1,185	-
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	-	3,000
विविध	503	936
क्रेडिट बैलेंस W/off	-	1,211
टीडीएस वापसी पर ब्याज	**80,557**	-
जब्त की गई सुरक्षा जमाराशि	10,000	
	3,61,66,748	**4,55,58,708**

12. कर्मचारी हित व्यय

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतनः		
–स्थायी कर्मचारियों को	21,53,092	28,13,053
–अनुबंधीय कर्मचारियों को	26,41,332	13,20,000
–एजेन्सी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को	24,46,016	30,51,749
स्टाफ का प्रशिक्षण	-	1,08,663
गतिशील खर्चों की प्रतिपूर्ति	96,584	85,402
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	15,358
	73,37,024	**73,94,225**

13. अन्य व्यय

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अन्य प्रत्यक्ष व्यय :		
लाइसेंस फीस की लागत	-	5,25,000
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यय	-	66,630
	-	**5,91,630**
अन्य अप्रत्यक्ष व्ययः		
प्रशासनिक व्यय	78,978	1,46,534
प्रिन्टिंग व स्टेशनरी	1,83,167	3,36,400
कॉमन सेवा प्रभार	6,87,900	6,24,131
रख–रखाव व्यय (कार्यालय)	4,87,626	8,85,248
मरम्मत व रखरखाव (कम्प्यूटर व प्रिन्टर्स)	59,484	18,375
किराया एवं सम्बद्ध प्रभार	1,74,804	1,74,804
अवधि पूर्व व्यय	1,01,919	-
टेलिफोन बिल – कार्यालय	42,832	41,451
यात्रा बिल	3,83,588	3,32,414
विनिमय दर में उतार चढ़ाव	4,525	96,049
विज्ञापन	8,46,663	-
अंशदान फीस	29,266	33,468
आन्तरिक ऑडिट फीस	47,200	46,000
सांविधिक ऑडिट फीस	42,000	48,300
सचिवालीय ऑडिट फीस	50,000	49,100
प्रोफेशनल फीस	2,81,672	3,80,175
विद्युत प्रभार	4,91,939	5,15,612
विविध व्यय	1,55,446	1,56,683
वाहन व्यय	7,38,492	8,60,304
भागीदार के रूप में प्रतिभागिता व्यय	50,000	
प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभगिता व्यय	23,178	83,000
	49,60,679	**54,19,678**

14. वित्त व्यय

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
टीडीएस पर ब्याज	581	565
जीएसटी पर ब्याज	150	-
सेवा कर पर ब्याज	14	3,204
बैंक प्रभार	6,383	1,960
	7,128	**5,729**

15. अभूतपूर्व मदें

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
बट्टे खाते का प्रावधान	16,235	-
संदेहपूर्ण ऋण के लिए प्रावधान	(7,85,400)	-
लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात	**(7,69,165)**	-

16. दिनांक 31 मार्च, 2018 को आस्थगित कर परिसम्पत्ति

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक व्ययों के हिसाब से	-	-
कम्पनी अधिनियम के अनुसार	40,10,812	51,18,028
आयकर अधिनियम के अनुसार	69,90,580	77,41,729
2. खराब ऋण के लिए लेखा प्रावधान पर		
कम्पनी अधिनियम के अनुसार	7,85,400	
आयकर अधिनियम के अनुसार	-	
कम्पनी अधिनियम की तुलना में आयकर की अधिकता	**(37,65,168)**	**(26,23,701)**
कुल	**37,65,168**	**26,23,701**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां @ 27.5525%	10,37,398	8,67,474
लाभ एवं हानि के विवरण में अभिज्ञात	(1,69,924)	2,09,575

17. विदेशी मुद्रा में अर्जन एवं व्यय (आउटगो)

विवरण	31-03-2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31-03-2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
विदेशी विनिमय में अर्जनः- प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आय	रूपये 3,54,634	रूपये 75,509
विदेशी व्ययः- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में होने वाला व्यय *		रूपये 1,66,041

18. संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

संबंधित पार्टी के साथ ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसका खुलासा आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस-18) के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है।

19. कम्पनी ने चालू वित्त वर्ष में लागू आवश्यकताओं के अनुसार जहां जरूरी था वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत या पुनर्समूहित किया है।

20. प्रति शेयर लाभ

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक-20, 'प्रति शेयर लाभ' के अनुसरण में प्रति शेयर लाभ की गणना इस प्रकार की गई है :

विवरण	वित्त वर्ष 2017-18 में राशि (रूपये)	वित्त वर्ष 2016-17 में राशि (रूपये)
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	1,58,39,715	2,10,52,092
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या	5,00,00,000	5,00,00,000
प्रति शेयर मूल लाभ अथवा अर्जन	0.32	0.42
प्रति शेयर डाइल्यूटिड लाभ		
इक्विटी शेयरधारक को शुद्ध लाभ	1,58,39,715	2,10,52,092
इक्विटी शेयरों की भारिता औसत संख्या (क्षमताशील इक्विटी शेयर सहित)	5,00,00,000	5,00,00,000
प्रति शेयर डाइल्यूटिड अर्जन	0.32	0.42

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** ('दि कम्पनी') के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिसमें कि 31 मार्च, 2018 तक की संलग्न बैलेंस शीट, वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य स्पष्टीकारक सूचना का सारांश सम्मिलित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए तथा वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायिता

कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 134 (5) के संबंध में वर्णित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के तदनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के साथ तारतम्य में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा अन्य विसंगति से बचने एवं उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव; समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; न्यायोचित एवं सटीक निर्णय तथा अनुमान लगाना; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव; करना शामिल है जिनका प्रचालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो कि कम्पनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण तत्वों का गलत अनुमान लगाने की संभावना से रहित है।

कम्पनी का प्रबंधन, इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की ऑडिट के मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्डों पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और उसे बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं : विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित कम्पनी के व्यवसाय को उचित एवं प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऑपरेशन, पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव जो कि कम्पनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता तथा जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी है।

लेखा परीक्षक की उत्तरदायिता

हमारी उत्तरदायिता, हमारे द्वारा किए अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना और हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों एवं मामलों जिन्हें अधिनियम तथा इसके तहत निरूपित नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना जरूरी होता है, के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा पर मानकों के तदनुसार लेखा परीक्षा को आयोजित तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट तैयार किया है। इन मानकों की आवश्यकता है कि हम नीतिशास्त्र आवश्यकताओं के साथ ऐसा उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा व योजना तैयार करें जो इस बारे में हो कि क्या वित्तीय विवरण की सामग्री मिथ्या कथन से रहित हैं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाये रखा गया था और साथ ही क्या सभी सामग्री के संबंध में ऐसा नियंत्रण प्रभावी ढंग से लागू किया गया था।

किसी लेखा–परीक्षा की प्रक्रिया के तहत वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने में निष्पादन कार्यविधि शामिल होती है। चुनी गई कार्यविधि लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री अथवा सूचना के मिथ्या कथन के जोखिम का आकलन करना शामिल होता है कि क्या ऐसा धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हैं। ऐसे जोखिम आकलनों में, लेखा परीक्षक, कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके सही प्रस्तुतीकरण के लिए कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा कार्यविधि बनाई जा सके जो कि परिस्थितियों के अनुकूल हो लेकिन यह ऐसी किसी राय को प्रकट करने के लिए नहीं होती कि क्या कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रण को प्रभावी तरीके से चलाने की तुलना में एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की प्रासंगिकता और कम्पनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की सुसंगता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा हासिल लेखा–परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय अथवा तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसकी डिजाइन सामान्य तौर पर स्वीकार्य एकाउन्टिंग सिद्धान्तों के तदनुसार बाह्य प्रस्ताव हेतु वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त भरोसा प्रदान करने हेतु तैयार की जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां एवं कार्यविधियां शामिल होती हैं यथा :

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रख–रखाव से संबंधित है जिसमें कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन–देन तथा प्रकृति का उपयुक्त विवरण, सटीकता एवं उचित स्थिति दर्शाई जाती है;

(2) सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के तदनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करते समय जैसा जरूरी है, उसी प्रकार लेन–देन को दर्ज किया गया है और कम्पनी की प्राप्तियों एवं खर्चों को कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है, के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना; एवं

(3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका कि वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव पड़ सकता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रकृति की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का स्वाभाविक अनुकरण

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण नियंत्रण की अनदेखी करने से टकराव अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावनाओं के साथ त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण होने वाला तात्विक गलत विवरण हो सकता है और उसे खोजा नहीं जा सकता। इसके साथ ही, भावी अवधि की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान करने में भी जोखिम बना रहता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है क्योंकि इसका कारण परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों अथवा कार्यविधियों के साथ अनुपालन की डिग्री का बिगड़ना हो सकता है।

राय अथवा मत

हमारी राय में तथा हमारी ज्ञात जानकारी में और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम के अनुरूप अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही 31 मार्च, 2018 की तारीख तथा इसी तारीख पर समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ और नकदी प्रवाह के संबंध में कम्पनी के मामलों में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों की पुष्टि में सत्य और सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') के अनुसार, हम अनुबंध - ए विवरण में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में निर्दिष्ट विषयों पर लागू सीमा तक अपनी टिप्पणी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने वे सभी सूचनाएं व विवरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में कानून के अनुसार आवश्यक लेखा के उचित खाते कम्पनी द्वारा रखे गए, जैसा कि इन खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है;

   ग) इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ व हानि तथा नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा अथवा विवरण लेखा बही के अनुरूप है।

   घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

   ड) दिनांक 31 मार्च, 2017 को कम्पनी के सभी निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को कम्पनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संबंध में किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने हेतु अयोग्य नहीं है।

   च) व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार और स्वामित्व की संगठनात्मक संरचना पर विचार करते हुए हमारे मत में सभी सामग्री के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण कम्पनी में दिनांक 31 मार्च, 2017 की तारीख पर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था । इसका आधार इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मानदण्ड था।

छ) कम्पनी (ऑडिट एवं आडीटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

1. कम्पनी में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो;

2. ऐसा कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध जिससे कोई तात्विक दृष्टव्य नुकसान हो, सहित कम्पनी का कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है;

3. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत हो

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार मामलों पर यह रिपोर्ट अनुबंध – बी के रूप में संलग्न है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.18

सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध 'ए'

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा पर **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के संदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समसंख्यक दिनांक के पत्र के संदर्भ में अनुबंध 'ए' प्रस्तुत है। हमारी रिपोर्ट है कि :

i) क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया है;

ख) नियत परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधान द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।

ग) कम्पनी के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।

ii) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई इन्वेंटरी तैयार नहीं की गई, इसलिए पैराग्राफ 3 (ii) के तहत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं है।

iii) हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (a), 3(iii) (b) एवं 3(iii)(c) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

iv) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा धारा 185 एवं 186 के तहत शामिल किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(iv) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं होता।

v) कम्पनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3(v)के तहत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

vi) हमारी राय में तथा कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (d) के तहत कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख-रखाव करने की जरूरत निर्धारित नहीं की गई है।

vii) क) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और साथ ही कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आयकर, सेवा कर, तथा समुचित एथारिटीज के अन्य सांविधिक देय सहित सभी अविवादित सांविधिक देय को नियमित रूप से जमा कराया है।
कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2018 के दिन तक कम्पनी के ऊपर आयकर, सेवा कर एवं किसी प्रकार का बकाया अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं है।
ख) आयकर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जैसा लागू है, के मामले में कोई विवादित राशि का भुगतान करना बकाया नहीं है।

viii) कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार तथा साथ ही कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक या ऋणदाता की कर्जदार नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (viii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

ix) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपायों सहित) अथवा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की निधि एकत्रित नहीं की गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(ix) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

x) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम्पनी की ओर से अथवा कम्पनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधाड़ी नहीं पाई गई। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(x) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xi) सरकारी कम्पनियों को कुछ निश्चित छूट देते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रलयों की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियिम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xi) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xii) कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xiii) संबंधित पक्षों के साथ सभी प्रकार का लेन–देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 के अनुपालन में किया जाता है और इसका विवरण लागू लेखा मानकों में आवश्यक वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

xiv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों का किसी प्रकार का निजी प्लेसमेंट अथवा पसंदीदा आवंटन नहीं किया गया।

xv) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने साथ जुड़े निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन देन नहीं किया ।

xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/–
(अंकित गर्ग)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 515099
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.18

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - बी

(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक जरूरतों के खण्ड पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1.	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश: टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है ? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है ?	कम्पनी में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अत: यह लागू नहीं होता।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में तथा हमें ज्ञात जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है और इसका कम्पनी के लेखा तथा वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 515099

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.18

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के लेखों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की है । साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

वीएसडी एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफ.आर. सं. 008726 एन

ह0/-
(अंकित गर्ग)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 515099

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.09.18

प्रपत्र सं.: एमआर-3
सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

हमने, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (CIN U 01400DL2011GOI226486)** द्वारा अपनाई गई बेहतर कॉरपोरेट रीतियों के अनुपालन में सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन किया। सांविधिक लेखा परीक्षा का आयोजन इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आयोजनों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित आधार मिला।

क. मूल्यांकन के दौरान मैंने कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, पेपरों, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत रिटर्न और कम्पनी द्वारा रख-रखाव किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इसके अलावा मैंने सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके कम्पनी सचिव, इसके अधिकारी एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का भी सत्यापन किया। दिनांक 31 मार्च, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान एतद्द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मेरा मत है कि कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्यतया अनुपालन किया गया है तथा साथ ही कम्पनी में एक उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है :

हमने, दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रों, प्रस्तुत रिटर्न तथा रख-रखाव किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की।

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा इसके तहत निरूपित नियमावली;

2. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इस पर निरूपित नियमावली; **(लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

3. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इस पर निरूपित विनियमन एवं बायलॉज **(लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

4. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य व्यावसायिक ऋण (External Commercial Borrowings) की सीमा तक निरूपित नियमावली एवं विनियम; **(लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं जैसा कि कम्पनी में**

कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश नहीं था और कम्पनी द्वारा कोई बाह्य व्यावसायिक ऋण नहीं लिया गया)

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('SEBI Act') के तहत निर्धारित विनियमन एवं दिशानिर्देष इस प्रकार हैं :

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (सूचीबद्ध दायित्व एवं जरूरतों का खुलासा) विनियमन, 2015; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (शेयरों एवं अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) विनियमन, 2011; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (आन्तरिक व्यापार का निषेध) विनियमन, 1992; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (पूंजी एवं प्रकटन जरूरतों को जारी करना) विनियमन, 2009; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ड. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम एवं कर्मचारी स्टॉक क्रय स्कीम) दिशानिर्देश, 1999 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियमन, 2014 (दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को अधिसूचित); (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (ऋण प्रतिभूति को जारी करना एवं सूचीबद्धता) विनियमन, 2008; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (शेयर जारी व हस्तांतरण करने हेतु रजिस्ट्रार) कम्पनीज अधिनियम तथा ग्राहकों के साथ डीलिंग करने के संबंध में विनियमन, 1993; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं) एवं

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) (प्रतिभूतियों का बॉयबैक) विनियमन, 1998; (लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ii. आयकर अधिनियम, 1961, कम्पनी पर लागू होने की सीमा तक कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देश सहित उपयुक्त अन्य विशिष्ट अधिनियम, कानून एवं विनियमन

साथ ही हमने, निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त धारा का अनुपालन करते हुए जांच की :-

i) दि इंस्टिटयूट आफॅ कम्पनी सेक्रेटरीज आफॅ इंडिया द्वारा निदेशक मण्डल (SS - 1) की बैठकों तथा सामान्य बैठकों (SS -2) के संबंध में जारी सांविधिक मानदण्ड

ii) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्पनी द्वारा शामिल समझौतों को सूचीबद्ध करना (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)

ग. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित आकलन होने पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम, कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है :-

क) कम्पनीज की नियमावली 4 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 149 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसार कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए, हालांकि, कम्पनी द्वारा किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम होने के नाते, कम्पनी में निदेशक स्तरीय सभी नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। कम्पनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की लम्बित नियुक्ति और बोर्ड एवं इसकी समितियों के अनुचित संयोजन के कारण, दिनांक 31 मार्च, 2018 को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178, 135 की वांछित जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सका जिससे कि समिति की बैठकों, स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आदि के लिए कोरम जैसी अन्य सम्बद्ध जरूरतों के साथ विचलन को बढ़ावा मिला।

ख) वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त और निदेशकों की उपस्थिति को रिकॉर्ड करने के संबंध में दि इंस्टिटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 द्वारा जारी बोर्ड बैठकों (SS - 1) पर सांविधिक मानकों के निश्चित प्रावधानों का उचित तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है।

ग) वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134 (1) के लिए वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कि सुश्री निधि गोधा, कम्पनी सचिव द्वारा बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर किए गए, हालांकि, सुश्री गोधा सरकारी अवकाश पर थीं और भारत में मौजूद नहीं थीं। पुनः हस्ताक्षर करने वाला स्थान दिल्ली ही बताया गया है।

घ) धारा 173 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार की रीति में प्रति वर्ष कम्पनी के निदेशक मण्डल की कम से कम चार बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अन्तराल नहीं होना चाहिए, को पूरा नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बोर्ड की केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गई यथा 29 जून, 2017, 8 अगस्त, 2017 तथा 12 मार्च, 2018 एवं दिनांक 8 अगस्त, 2017 व दिनांक 12 मार्च, 2018 को आयोजित की गई बैठकों के बीच अन्तराल 120 दिनों से अधिक था।

ड) धारा 118 (1) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा एक कार्यवृत्त पुस्तक में सभी बोर्ड एवं समिति बैठकों के कार्यवृत्त को रखना चाहिए। हालांकि, कम्पनी द्वारा रिकॉर्ड किया गए कार्यवृत्त कम्पनीज अधिनियम, 2013 और सांविधिक मानक-1 की जरूरतों के अनुरूपण में नहीं है।

च) कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 175 (2) के अनुसार, परिचालन द्वारा पारित किए गए संकल्प को बोर्ड की अगली बैठक अथवा समिति की अगली बैठक में, जैसा भी मामला हो, में नोट किया जाए। संकल्प के पाठ को अगली बैठक के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाए और साथ ही उसमें इच्छुक निदेशक के किसी भी असहमति अथवा तटस्थ विचार को भी रिकॉर्ड किया जाए। हालांकि, कम्पनी द्वारा धारा 175 (2) का अनुपालन नहीं किया गया है।

छ) कुछ मामलों में, ई-फार्म MGT 14 तथा फार्म DIR 12 को वर्ष के दौरान संकल्प पारित करने के 30 दिनों के भीतर नहीं भरा गया।

ज) सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में प्रदान की कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, हालांकि, सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लागू करने की दिशा में प्रबंधान द्वारा कार्य किया जा रहा है।

झ) हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त आकलन के पैराग्राफ क) में वर्णित कारणों के दृष्टिगत, कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन किया गया है जिसमें कार्यकारी निदेशकों तथा गैर कार्यकारी निदेशकों का उचित संतुलन रखा गया है, तथापि, भारत सरकार से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रतीक्षा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल के संयोजन में हुए बदलावों को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया।

ट) हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि सामान्यतया बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स के संबंध में सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले सूचित किया गया। साथ ही बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली कार्यसूची मदों पर पुनः जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने के प्रयोजन से एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।

ठ) हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि

i) बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची के संबंध में सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी बैठक से कम से कम सात दिन पहले सभी निदेशकों को भेजा गया। साथ ही बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक में प्रस्तुत की जाने वाली कार्यसूची मदों पर पुनः जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने के लिए एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।

ii) जैसा कि निदेशक मण्डल अथवा बोर्ड समिति की बैठक, जैसा भी मामला हो, के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया गया, बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णयों को बहुमत से लिया गया।

ड) हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि हासिल की गई जानकारी और प्रणाली का रख रखाव किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, कम्पनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने की जरूरत है ताकि वे लागू कानूनों, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों की निगरानी करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में कम्पनी के आकार और ऑपरेशन के अनुरूप हों।

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो कि ''अनुबंध A'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 11.09.18

पारूल जैन
प्रोपराइटर
M.No. : F 8323
CP No. 13901

अनुबंध-ए

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,
नई दिल्ली - 110 012

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए :

1. सांविधिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करना कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर इन सांविधिक रिकॉर्ड पर अपने विचार प्रकट करना हमारा दायित्व बनता है।

2. हमने, सांविधिक रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में न्यायोचित विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी रीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। जांच के आधार पर प्रमाणन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधिक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं रीतियों के परिणामस्वरूप हमारे विचार को एक न्यायोचित आधार मिलता है।

3. हमने, समीक्षा अवधि के लिए आंतरिक ऑडीटर्स रिपोर्ट पर विश्वास किया है, अत: हम नमूना आधार पर सांविधिक/कानूनी अनुपालनों की सटीकता और उपयुक्तता को प्रमाणित करते हैं।

4. हमने, समीक्षा अवधि के लिए सांविधिक ऑडीटर्स रिपोर्ट पर विश्वास किया है, अत: हमारे द्वारा कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तिका की सटीकता व उपयुक्तता का प्रमाणन नहीं किया गया। इनकी रिपोर्ट में वर्णित योग्यताओं/आकलन को भी इस रिपोर्ट का भाग बनाया गया है।

5. जहां कहीं जरूरी है, हमने कानूनों, नियमावली व विनियमों तथा आयोजन आदि के बारे में प्रबंधन प्रतिवेदन हासिल किया है।

6. कॉरपोरेट एवं अन्य स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, जांच के आधार पर कार्यविधि का प्रमाणन करने तक सीमित थी।

7. भारत में आमतौर पर स्वीकार्य रीतियों के अनुसरण में कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही तथा रिकॉर्ड की हमारे द्वारा जांच करने के दौरान, हमने कम्पनी में अथवा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधाड़ी को नहीं पाया और न ही कम्पनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना पाई गई अथवा उसकी रिपोर्ट की गई और तदनुसार कम्पनी द्वारा ऐसी किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

पारूल जैन
प्रोपराइटर
M.No. : F 8323
CP No. 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 11.09.18

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के तदनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दिनांक 19.09.2018 की इनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह कार्य कर दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** की 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय किया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत किसी प्रकार की टिप्पणी प्रस्तुत नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.10.18

ह0/-
(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

AGRINNOVATE INDIA LIMITED
G-2, A Block
National Agricultural Science Centre Complex
DPS Marg, New Delhi-110012
Ph.: 011-25842122, Telefax: 011-25842124
E-mail: info@agrinnovate.co.in
Website: www.agrinnovate.co.in